# उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

**5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001**

**फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800**

पत्रांक सं0 9581/18. दिनांक 17/10/18

सेवा में,

**प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,**
उपकार स्कूल ऑफ नर्सिंग,
एन0एच0–24, ग्राम शापुर जट, निकट कुचेसर चौपला,
हापुड।

**विषय–सत्र् 2018–2019 में जी0एन0एम0 / ए0एन0एम0 प्रवेश हेतु औचक निरीक्षण के संबंध में।**

महोदय / महोदया,

आपके संस्थान में संचालित जी0एन0एम0 एवं ए0एन0एम0 प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण दिनॉक 15.10.2018 को कार्यालय द्वारा नियुक्त दो सदस्यीय समिति द्वारा कराया गया। उक्त औचक निरीक्षण के समय आपके संस्थान में विभिन्न कमियाँ पायी गयी है जो निम्नलिखित है–

1. नर्सिंग प्रशिक्षण भवन अभी तक निर्माणाधीन है।
2. लैबोरेटरी में उपकरण एवं उपस्कर मानकानुसार उपलब्ध नहीं है एवं सी0एच0एन0 एवं न्यूट्रीशियन लैब क्रियाशील नहीं है।
3. संस्थान में नर्सिंग प्रशिक्षण से संबंधित आधुनिक पुस्तके एवं रीडिंग रूम भी उपलब्ध नहीं है। लाइब्रेरी की देखरेख करने वाला लाइबेरियन नियुक्त नहीं है।
4. संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके छात्र / छात्राओं एवं प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के अभिलेख का रख–रखाव सही तरीके से नहीं है।
5. हास्टल भवन नहीं है।
6. जी0एन0एम0 द्वितीय वर्ष के छात्र / छात्राओं के साइक्रेटिक क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु किसी मानसिक चिकित्सालय से सम्बद्धता विगत 06 वर्षो से संचालित होने के पश्चात् अभी तक नहीं है।
7. संस्थान द्वारा वर्ष 2018–19 के सम्बद्धता विस्तारण हेतु 16 टीचिंग फैकल्टी के नियुक्त होने की सूचना दी गयी है, निरीक्षण के समय मात्र 04 टीचिंग फैकल्टी

.......2

उपलब्ध पायी गयी, जिनके उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल में पंजीयन संबंधी अभिलेख सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराये जा सके।

8. आपके संस्थान द्वारा सम्बद्ध चिकित्सालय वीरन देवी मोदी जनाना हास्पिटल, हापुड 100 बेड का नहीं है व क्लीनिक प्रशिक्षण हेतु चिकित्सालय में नर्सिंग सुविधायें उपलब्ध नहीं है, चिकित्सालय में संयुक्त ओ0पी0डी0/ओ0बी0जी0 जैसी सुविधायें नागण्य है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से आपके प्रशिक्षण केन्द्र में चल रहे जी0एन0एम0 एवं ए0एन0एम0 प्रशिक्षण सत्र् 2018–19 के छात्र/छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगायी जाती है। उपरोक्त कमियों को पूर्ण कर सूचित करना सुनिश्चित करते हुए इस कार्यालय को सूचित करें, जिससे कि पुर्ननिरीक्षण कराया जा सके। यदि इसके पूर्व संस्थान द्वारा इस सत्र् 2018–19 हेतु प्रवेश लिया जाता है तो प्रवेशित छात्रों की परीक्षा इस कार्यालय द्वारा किसी भी दशा में संपन्न नहीं करायी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान का होगा।

भवदीय,

**मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,**
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

पत्र संख्या– दिनॉक–

**प्रतिलिपि**–सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020 को इस आशय से प्रेषित की उपकार स्कूल ऑफ नर्सिंग, एन0एच0–24, ग्राम शापुर जट, निकट कुचेसर चौपला, हापुड के निरीक्षण में पायी गयी कमियों के दृष्टि गोचर हेतु जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 प्रशिक्षण का नाम अपनी प्रदर्शित सूची से हटाने के संबंध में।

**मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,**
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।